तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.03.2022	पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी का सही नाम रामअवतार पुत्र रामसहाय है किन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामनारायण पुत्र रामसहाय गलत अंकित कर दिया गया है जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम रामअवतार पुत्र रामसहाय अंकित है। जिससे प्रार्थी को सरकारी योजनाओं का लाभ नही मिल रहा है एवं प्रार्थी को भारी समस्याओं का सामना करना पड रहा है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सही दर्ज करने के आदेश प्रदान करे। तहसीलदार निवाई के पत्रांक 2328 दिनांक 28.02.2020 से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर रामअवतार पुत्र रामसहाय करने हेतु सहमति प्रदान की गयी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं रिपोर्ट तहसीलदार निवाई का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार निवाई को आदेश दिया जाता है कि जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता संख्या 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 274 वाके ग्राम अलियाबाद पटवार मण्डल पलेई तहसील निवाई में प्रार्थी का नाम रामनारायण पुत्र रामसहाय के स्थान पर दुरुस्त कर रामअवतार पुत्र रामसहाय राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।	